झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची

रिट. याचिका. (सेवा) सं. 4599 वर्ष 2017

1. शिव चन्द्र यादव (अ.पि.वर्ग.) पुत्र उपेन्द्र प्रसाद यादव, वरि. पीडब्लूएस (अभियांत्रिकी विभाग) पूर्व मध्य रेलवे लतेहार स्टेशन, डाकखाना एवं थाना-लतेहार, जिला-पलामू।
2. संजीव कुमार चौधरी (अ.पि.वर्ग.) पुत्र कमल नाथ चौधरी, वरि. पीडब्लूएस (अभियांत्रिकी विभाग) पूर्व मध्य रेलवे लतेहार धनबाद स्टेशन, डाकखाना तथा थाना-धनबाद, जिला-धनबाद।
3. मोहम्मद जावेद कमर (अनारक्षित) पुत्र मोहम्मद कमरउद्दीन, वरि. पीडब्लूएस (अभियांत्रिकी विभाग) पूर्व मध्य रेलवे पारस नाथ स्टेशन डाकखाना एवं थाना-पारसनाथ, जिला हजारीबाग ।
4. रामचरित्र प्रसाद (अ.पि.वर्ग.) पुत्र राम स्वरूप प्रसाद, वरि.पीडब्लूएस (अभियांत्रिकी विभाग) पूर्व मध्य रेलवे, कतरसगढ़ स्टेशन, डाकखाना तथा थाना-कतरसगढ, जिला धनबाद।
5. शशी जंत कुमार शशी उर्फ शशी कांत कुमार शशी (अ.पि.वर्ग.) पुत्र श्री गणेश प्रसाद यादव, वरि.पीडब्लूएस (अभियांत्रिकी विभाग) पूर्व मध्य रेलवे लतेहार गोमिया स्टेशन, डाकखाना तथा थाना-गोमिया, जिला-धनबाद।
6. संजय कुमार राय (अनारक्षित) पुत्र सरयुग प्रसाद राय, वरि. पीडब्लूएस (अभियांत्रिकी विभाग) पूर्व मध्य रेलवे बरकाकाना स्टेशन डाकखाना एवं थाना-बरकाकाना, जिला धनबाद।
7. कृष्ण मोहन कुमार (अनारक्षित) पुत्र स्व. नीलकंठ सिंह, वरि. पीडब्लूएस (अभियांत्रिकी विभाग) पूर्व मध्य रेलवे धनबाद स्टेशन डाकखाना एवं थाना-धनबाद, जिला धनबाद।
8. अभय कुमार सिन्हा (अनारक्षित) पुत्र उमेश प्रसाद सिन्हा, वरि.पीडब्लूएस (अभियांत्रिकी विभाग) पूर्व मध्य रेलवे लतेहार स्टेशन डाकखाना एवं थाना-लतेहार, जिला पलामू।
9. संजय कुमार मिश्रा (अनारक्षित) पुत्र रामवरन मिश्रा, वरि.पीडब्लूएस (अभियांत्रिकी विभाग) पूर्व मध्य रेलवे, टोरी स्टेशन, डाकखाना एवं थाना- टोरी, जिला धनबाद।
10. संजय कुमार (अ.पि.वर्ग.) पुत्र बचू प्रसाद यादव, वरि. पीडब्लूएस (अभियांत्रिकी विभाग) पूर्व मध्य रेलवे, गजहाण्डी स्टेशन, डाकखाना एवं थाना-गजहाण्डी, जिला धनबाद।
11. अंजनि कुमार (अ.पि.वर्ग.) पुत्र स्व.अनिल कुमार, वरि. पीडब्लूएस (अभियांत्रिकी विभाग) पूर्व मध्य रेलवे, रेनूकूट स्टेशन, डाकखाना एवं थाना- रेनूकूट, जिला सोनभद्र (उ.प्र.) ।

12. श्याम सुन्दर प्रसाद नीरज (अ.पि.वर्ग.) पुत्र स्व. रामहरि प्रसाद, वरि.पीडब्लूएस (अभियांत्रिकी विभाग) पूर्व मध्य रेलवे, सिंधौली स्टेशन, डाकखाना एवं थाना-सिंधौली जिला सिंधौली ।

13. धर्मेन्द्र कुमार (अ.पि.वर्ग.) पुत्र स्व. खेलम प्रसाद, वरि. पीडब्लूएस (अभियांत्रिकी विभाग) पूर्व मध्य रेलवे, ओवरा स्टेशन, डाकखाना एवं थाना-ओवरा, जिला-ओबरा, जिला-सोनभद्र (उ.प्र.) ।

-----------याचीगण

बनाम

1. भारत संघ, द्वारा आचंलिक प्रबंन्धक पूर्व मध्य रेलवे, डाकखाना तथा थाना हाजीपुर, जिला- हाजीपुर, पिन नं. 844101
2. मुख्य अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, डाकखाना तथा थाना हाजीपुर, जिला- हाजीपुर, पिन नं. 844101
3. वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी, पूर्व मध्य रेलवे, धनबाद मण्डल, डाकखाना तथा थाना धनबाद, जिला धनबाद, पिन नं. 826001
4. वरिष्ठ डीईएन (मण्डल अभियंता) ओआरडी/धनबाद मण्डल, डाकखाना तथा थाना धनबाद, जिला धनबाद, पिन नं. 826001

----------प्रोफार्मा प्रत्यर्थीगण

5. आमोद कुमार अमर, पुत्र श्री राम सुगन पोद्दार निवासी गाँव-तरसपुर, डाकखाना- दल सिंह सराय थाना- दल सिंह सराय, जिला समस्तीपुर, बिहार

---------आवेदक/प्रत्यर्थी

कोरमः मा. श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद

मा. श्री न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

याचीगण के लिए : श्रीमती एम.एम. पाल, वरिष्ठ अधिवक्ता

: श्रीमती रूबी पाण्डेय, अधिवक्ता

: श्रीमती रूक्मिणी कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी रेलवे के लिए : श्रीमती बक्शी विभा, सीजीसी

प्रत्यर्थी सं. 5 के लिए : श्री संजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

सी.ए.वी 29-02-2024 को **14-03-2024 को सुनाया गया।**

द्वारा सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन वर्तमान रिट याचिका ओए-114 /2013 (आर) में विद्वान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सर्किट पीठ राँची द्वारा पारित आदेश दिनांक 01-06-2017 के अभिखण्डन हेतु दाखिल किया गया है जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत आवेदक द्वारा जो इसमें प्रत्यर्थी सं. 05 है 27 अभ्यर्थी के सम्पूर्ण पैनल दिनांक 24-07-2012 जिसे पे बैण्ड-II में वरिष्ठ पीडब्लूएस के पद हेतु वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी, पूर्व मध्यरेलवे, धनबाद द्वारा तैयार किया गया था के अभिखण्डन हेतु इसमे माँग करते हुए ईप्सित अनुतोष या उक्त सूची के उपांतरण द्वारा इस अंतिम सूची में आवेदक का नाम देने के लिए पे बैण्ड- II में वरिष्ठ पीडब्लूएस के पद को भरने के लिए पुनरीक्षित पैनल तैयार करने हेतु प्रत्यर्थीगण को निदेश के साथ अनुज्ञात किया गया है।

तथ्यः-

2. रिट याचिका में किये गये अभिवचनो के अनुसार, मामले का संक्षिप्त तथ्य, जिसकी गणना किया जाना आवश्यक है निम्नवत पठित हैः-

विद्वान केद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सर्किट पीठ राँची के समक्ष आवेदक/ प्रत्यर्थी सं. 05 का मामला यह है कि इसे ट्रैकमेन के पद हेतु नियुक्त किया गया था तथा बाद में इसे कीमैन के पद पर प्रोन्नत किया गया था तथा वर्तमान में वह मेट है। इसे 03-07-2012 को मेट के पद पर प्रोन्नत किया गया था।

3. प्रत्यर्थी सं. 5 ने अधिसूचना दिनांक 09-06-2011 के विरूद्ध पे बैण्ड- II में वरिष्ठ पीडब्लूएस के पद हेतु आवेदन किया था जिसमें अभिपांलिकी विभाग में 50 प्रतिशत पीआरक्यू को भरने के लिए विभिन्न संवर्गों/ पदो से आवेदन आमंत्रित किया गया था जिसके लिए विभागीय परीक्षा 29-06-2012 को सम्पन्न हुई थी जिसमें वह उपस्थित हुआ था तथा परिणाम प्रकाशित किया गया था तथा प्रत्यर्थी सं. 05 का नाम क्रम सं. 75 के रूप में उल्लिखित था। 24-07-2012 को अंतिम चयन हेतु 27 अभ्यर्थीयो का पैनल तैयार किया गया है जिसमें इसका नाम गायब था। इसने संबंधित प्राधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन दिनांक 29-07-2012 किया था लेकिन कोई जवाब प्राप्त नही हुआ था।

4. तत्पश्चात, वह आरंभिक आवेदन ओए-114/2013(आर) दाखिल करते हुए विद्वान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सर्किट पीठ राँची के समक्ष गया था तथा इस ओए में इन याचीगण को प्रत्यर्थीगण सं. 5 से 20 बनाया गया था तथा रेलवे अधिकारियो को प्रत्यर्थीगण सं. 1 से 4 बनाया गया था।

5. याचीगण ने इस मामले में प्रत्यर्थीगण होने के नाते अपना लिखित कथन दाखिल किया था जिसमें यह विशेष रूप से कहा गया था कि 27 अभ्यर्थियो का पैनल वैध, उचित तथा विधिमान्य है तथा इन सभी को अधिसूचना दिनांक 09-06-2011 के विरूद्ध सम्यक चयन के बाद पैनल में रखा गया है जिसमें अभियांत्रिकी विभाग में पीआरक्यु के 50 प्रतिशत द्वारा पे बैण्ड -II रू 9300-34,800/-+ जीपी रु 4200/- में वरि. पीडब्लूएस के 29 पदो को भरने के लिए रिक्तियो को अधिसूचित किया गया था जिसे कक्षा-X बोर्ड परीक्षा की योग्यता रखने वाले गैंगमैन, कीमैन तथा मेट- से विकल्पो को आमंत्रित करते हुए परिचालित किया गया था तथा उक्त चयन लिखित उपयुक्तता परीक्षण के द्वारा वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता पर आधारित था।

6. प्रत्यर्थी रेलवे ने भी सभी विवरणो को बताते हुए लिखित कथन दाखिल किया था कि अभियांत्रिकी विभाग में 29 पद (अनारक्षित 19, अनु.जाति.- 05, अनु.जनजाति.-05) हेतु 50 प्रतिशत पीआरक्यू के विरूद्ध रू0 9300-34,800+जीपी 4200 के पे-बैण्ड में वरि. पीडब्लूएस के पद हेतु रिक्तियो को भरने के लिए डीपीओ/ डीएचएनएस पत्र दिनांक 09-08-2011 द्वारा गैंगमैन/ ट्रैकमैन, कीमैन तथा मेट जैसे पात्र अभ्यर्थीयो से विकल्पमाँगा गया था तथा छानबीन के बाद 210 पात्र अभ्यर्थीयो (अना.-155, अनु.जाति 40, अनु.जनजाति-15) को 29-06-2012/ 11-07-2012 को लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित होने के लिए स्वयं को तैयार रखने की सलाह दी गई थी। 210 अभ्यर्थीयो में से, 11-07-2012 को 194 परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, तद्नुसार परिणाम 17-07-2012 को प्रकाशित किया गया था।

7. प्रत्यर्थी रेलवे ने अपने लिखित कथन में स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदक, इसमें प्रत्यर्थी सं.5 का नाम 100 अभ्यर्थियो में से क्रम सं.75 पर सम्मिलित था।

8. लिखित कथन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उन अभ्यर्थीयो का नाम जिन्होने लिखित परीक्षा में अर्हक अंक प्राप्त किया था को वरिष्ठता स्थान के क्रम में व्यवस्थित किया गया था तथा चूकि सामान्य अभ्यर्थियो में से प्रत्यर्थी सं.05 का वरिष्ठता स्थान 75 है तथा इस कारण इसका नाम अंतिम पैनल में सम्मिलित नही था।

9. विद्वान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, सर्किट पीठ राँची ने पक्षकारो को सुनने के बाद, मण्डल में अपने अपने वरिष्ठता के अनुसार मेट तथा तत्पश्चात कीमैन तथा तत्पश्चात गैगमैन/ ट्रैकमैन के वरिष्ठता के आधार पर सही तरीके से 27 अभ्यर्थियो के पुनरीक्षित पैनल को तैयार करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निदेश हुए आदेश दिनांक 24-07-2012 द्वारा तैयार 27 अभ्यर्थियो के अंतिम पैनल को अपास्त तथा अभिखंडित करते हुए आदेश दिनांक 01-06-2017

द्वारा आरंभिक आवेदन को अनुज्ञात किया है तथा ऐसे व्यक्ति जिन्हे गलती से प्रोन्नत किया गया था तथा नये पैनल में इनका स्थान नही था को तत्काल इनके पूर्व पदो पर लौटाया जा सकता है तथा कवायद को एकमाह के अवधि में पूरा किया जाय क्योकि विभिन्न संवर्ग के वरिष्ठता के दुब्र्यपदेशन के कारण प्रोन्नति में काफी विलम्ब हुआ है।

10. विद्वान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण सर्किट पीठ, राँची के पूर्वोक्त आदेश दिनांक 01-06-2017 के विरूद्ध, वर्तमान रिट याचिका को उन व्यक्तियो द्वारा दाखिल किया गया है जो अंतिम पैनल दिनांक 24-07-212 में थे।

11. तथ्यात्मक पहलु से यह स्पष्ट है कि आवेदक जब ट्रैकमैन/ गैगमैन के रूप में कार्य कर रहा था, को बाद में 03-07-2012 को मेट के रूप में प्रोन्नत किया गया था। विभाग ने 50 प्रतिशत प्रोन्नति कोटा के द्वारा पे बैण्ड-॥ में वरि. पीडब्लूएस के पद हेतु रिक्तियो को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया था।

12. आवेदक ने अन्य के सात आवेदन किया था। चयन प्रक्रिया के अनुसार, आवेदक ने अन्य के साथ लिखित परीक्षा में भाग लिया था। 100, सफल अभ्यर्थियो का परिणाम प्रकाशित किया गया था। आवेदक को सफल घोषित किया गया था तथा इसका नाम क्रम सं. 75 पर सम्मिलित है लेकिन अत्यधिक मनमाना तथा अवैध तरीके से अंतिम चयन हेतु संबंधित अधिकारी द्वारा 27 अभ्यर्थियो का पैनल तैयार किया गया था लेकिन आवेदक का नाम उक्त सूची से गायब था।

13. आवेदक ने अपने शिकायत को उठाते हुए सम्यक अभ्यावेदन किया है तथा जब कोई कार्यवाही नही की गई थी, तब पूर्वोक्त शिकायत को दूर करने के लिए विद्वान अधिकरण के पास जाया गया था।

14. विद्वान अधिकरण ने संबंधित प्राइवेट प्रत्यर्थीगण को बुलाया था जिसे भी कार्यवाही के पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाया गया है तथा पूर्व मध्य रेलवे को भी बुलाया गया था जिसने लिखित कथन दाखिल किया था तथा इसके आधार पर, विद्वान अधिकरण ने आदेश पारित किया है कि चूकि वरि. पीडब्लूएस पीवी-॥ का पद चयन पद है जिसे एक या अन्य अभ्यर्थियो के मेरिट पर आधारित होना चाहिए, लिखित परीक्षा के अनुसार जिसमें आवेदक/ प्रत्यर्थी सं. 5 ने अन्य अभ्यर्थियो की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किया था लेकिन ऐसे अभ्यर्थीगण जिन्होने कम अंक प्राप्त किया है को पैनल में रखा गया है जिसे चयन प्रक्रिया में त्रुटि होना कहा गया है तथा इसलिए संपूर्ण सूची जैसा पत्र दिनांक 24-07-2012 में अन्तर्विष्ट है को पुनरीक्षित पैनल तैयार करने के निदेश के साथ अभिखंडित तथा अपास्त किया गया है।

15. उक्त आदेश पर अभ्याक्रमण भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस रिट याचिका को दाखिल करते हुए किया गया है।

याचीगण की ओर से पेश तर्क

16. अभ्यर्थीगण जिन्हे वरि. पीडब्लूएस के रूप में प्रोन्नति दिया गया है का प्रतिनिधित्व करते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती एम.एम. पाल ने विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आदेश पर अभ्याक्रमण करने में निम्न आधारो को लिया हैः-

(i) विद्वान अधिकरण ने इस तथ्य का मूल्यांकन न करने में अपने अधिकारिता का अतिक्रमण किया है कि वरि. पीडब्लूएस के पद का 50 प्रतिशत कोटा वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरा जाना था तथा इसमें याचीगण जो अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थीगण थे, प्रोन्नति पाये गये अभ्यर्थियो को लिखित परीक्षा में इनके द्वारा किये गये प्रदर्शन के आधार पर उपयुक्त होना पाया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप, वरिष्ठता में इनके पद पर भरोसा करते हुए जो प्रत्यर्थी सं. 05/आवेदक से वरिष्ठ है, इन याचीगण सहित 27 अभ्यर्थियो की सूची तैयार किया है तथा इन्हे प्रोन्नति दिया गया है।

(ii) आधार लिया गया है कि चूकि प्रोन्नति पर विचार वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर लिया जाना चाहिए तथा यह मेरिट-सह-उपयुक्तता के आधार पर नही है, अतः विद्वान अधिकरण ने पूर्वोक्त प्रक्रिया की उपेक्षा करते हुए आक्षेपित आदेश पारित करते हुए सम्पूर्ण पैनेल को अभिखंडित किया है, यह विधि की दृष्टि में संधार्य नही है।

(iii) प्रोन्नति को वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के सिंद्धात के आधार पर दिया गया है लेकिन विद्वान अधिकरण ने प्रत्यर्थी सं.05/आवेदक की ओर से किये गये निवेदन को ध्यान में रखते हुए कि प्रोन्नति को चयन मानदण्ड के आधार पर दिया जाना था और कुछ नही बल्कि त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष है जो इस आशय के भर्ती नियम पर आधारित नही है।

(iv) इन सभी याचीगण को बाद में वरि. पीडब्लूएस से बड़े पद पर प्रोन्नति दिया गया है तथा अब इनके पक्ष में अधिकार सृजित किया गया है लेकिन मामले के इस पहलू पर भी विचार नही किया गया है।

17. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पूर्वोक्त आधार पर निवेदन किया है कि इसलिए आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में संधार्य नही है तथा इसलिए अभिखंडित तथा अपास्त किया जा सकता है।

18. प्रत्यर्थी रेलवे के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता श्रीमती बक्शी विभा ने प्रति-शपथ पत्र में लिये गये आधार को निर्दिष्ट करते हुए निम्न आधारो को लिया है:-

(i) आधार लिया गया है कि भारतीय रेलवे स्थापन मैनुअल वैल्यूम-। का सुसंगत प्रावधान (पैरा-303) अनुबद्ध करता है कि रेलवे भर्ती बोर्ड या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकरण द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थियो के वरिष्ठता का निर्धारण प्रशिक्षण अवधि के अंत में सम्पन्न परीक्षा में प्राप्त मेरिट के क्रम में सुसंगत ग्रेड में इनके आरंभिक प्रशिक्षण के अनुसार किया जाना चाहिए। उन अभ्यर्थियो के मामले में, जो किसी प्रशिक्षण स्कूल में किसी प्रशिक्षणसे नही गुजरे है, वरिष्ठता का निर्धारण रेलवे भर्ती बोर्ड या अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मेरिट क्रम के आधार पर लिया जाना चाहिए। इस मामले में, आवेदकगण को ट्रैकमैन /गैंगमैन के पद हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा चयनित किया गया था। ट्रैकमैन/गैंगमैन के पद हेतु किसी संस्थागत प्रशिक्षण का कोई प्रावधान नही है, अतः इसके वरिष्ठता को रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा तय किये गये मेरिट के क्रम के अनुसार कायम रखा जायेगा। तदनुसार, वरिष्ठ पीडब्लूएस के चयन हेतु, अभ्यर्थियो के सारणीयन पत्रक को बनाते हुए तथा चयनित अभ्यर्थियो की सूची बनाते समय आर.आर.बी मेरिट के अनुसार निर्धारित वरिष्ठता को ध्यान में रखा गया है

(ii) आगे आधार लिया गया है कि वरि. पीडब्लूएस के पद हेतु चयनित अभ्यर्थिगण आरआरबी के आरंभिक वरिष्ठता (मेरिट स्थिति) द्वारा मार्गदर्शित थे लेकिन विद्वान अधिकरण यह कहते हुए रेलवे द्वारा किये गये उपरोक्त निवेदन से सहमत नही हुआ है कि इस प्रकार के तथ्यो का उल्लेख विकल्प आमंत्रित करने वाले अधिसूचना में नही किया गया था तथा इस प्रकार, परिणाम के प्रकाशन के बाद सन्निविष्ट नही किया जा सका है।

(iii) आगे यह निवेदन किया गया है कि वरिष्ठता के अनुसार 19 अभ्यर्थियो को अनारक्षित पदो के विरूद्ध रखा जाना था तथा प्रत्यर्थी सं.5 अर्हक अंको को प्राप्त करने के बावजूद कम वरिष्ठता स्थिति के कारण पैनल में स्थान नही पा सकता है।

(iv) विद्वान केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, राँची ने आदेश दिनांक 01-06-2017 द्वारा पैनल दिनांक 24-07-2012 को अभिखंडित किया है तथा मंडल में इनके अपने अपने वरिष्ठता के अनुसार मेट तथा तत्पश्चात कीमैन तथा तत्पश्चात गैंगमैन/ ट्रैकमैन के वरिष्ठता के आधार पर सही मायने में 27 अभ्यर्थियो के संशोधित पैनल को तैयार करने का निदेश दिया है।

(v) आगे निवेदन किया गया है कि अभियांत्रिकी विभाग में 29 पदो के लिए 50 प्रतिशत कोटा के विरूध्द चयन द्वारा वरि. पीडब्लूएस के पद हेतु रिक्तियो को भरते समय दोनो कारको अर्थात अभ्यर्थियो के वरिष्ठता तथा उपयुक्तता पर विचार किया गया था। उन अभ्यर्थियो का नाम, जिन्होने लिखित परीक्षा में अर्हक अंक प्राप्त किया था को वरिष्ठता के क्रम में व्यवस्थित किया गया था।

(vi) यह निवेदन किया गया है कि मेट, कीमैन तथा ट्रैकमैन /गैंगमैन का कोई पृथक वरिष्ठता सूची नही रखा गया है उल्टे इस श्रेणी के वरिष्ठता को युनिट वार रखा गया है।

(vii) प्रत्यर्थी रेलवे के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता ने अंत में निवेदन किया है कि इस मामले में रेलवे द्वारा लिये गये निर्णय को इसमें संलग्न करते हुए रेलवे की ओर से एक अनुपूरक शपथपत्र दाखिल किया गया है जैसा पत्र दिनांक 19/20-05-2021 में अन्तर्विष्ट है जिसमें यह कहा गया है कि रेलवे ने केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित आदेश को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है जो वर्तमान रिट याचिका में आक्षेपित है।

प्रत्यर्थी सं. 5 की ओर से पेश तर्क

19. प्रत्यर्थी सं.5 के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिन्हा ने याचीगण की ओर से पेश तर्क के खण्डन में निम्न आधारो को लिया हैः-

(i) यह निवेदन किया गया है कि वरि. पीडब्लूएस का पद चयन पद है तथा प्रक्रिया के अनुसार, चयन पद की प्रोन्नति पूर्णतया मेरिट केआधार पर दी जानी चहिए जो संसूचना दिनांक 13-08-2004 से स्पष्ट है जिसके आधार पर पद को भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की गई थी।

(ii) आधार लिया गया है कि उस क्षण जब पद को भरा जाना चाहिए इसे चयन पद माना गया है तथा चयन पद को मेरिट-सह-वरिष्ठता के आधार पर भरा जाना

चाहिए न कि वरिष्ठता के आधार पर।

(iii) प्रत्यर्थी अधिकारीगण ने पूर्वोक्त तथ्य को ध्यान में रखा बिना यद्यपि आवेदक / प्रत्यर्थी सं. 05 ने इसमें याचीगण की तुलना में लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किया है, इसे अंतिम रूप से चयनित नही किया है।

(iv) विद्वान अधिकरण ने पूर्वोक्त तथ्य को ध्यान में रखने के बाद, सम्पूर्ण पैनल को अभिखंडित किया है जिसे त्रुटि से ग्रसित नही कहा जा सकता है।

(v) तर्क किया गया है कि प्रत्यर्थी रेलवे ने भी बाद में किये गये त्रुटि को महसूस किया है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण ने भी अधिकरण द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका रि.या. (एस) सं. 7633 वर्ष 2017 अधिमानित किया था जो इस रिट याचिका में आक्षेपित है लेकिन इसे वापस किया गया है जिससे पता चलता है कि रेलवे ने भी अपने स्वयं के निर्णय जैसा पत्र दिनांक 13-08-2004 में अन्तर्विष्ट है के प्रतिकूल अपनी ओर से किये गये त्रुटि को महसूस किया है।

(vi) विदवान अधिवक्ता ने सारणीबद्ध फार्म जिसे सारणीयन के समय पर तैयार किया गया था जिसमें प्रत्यर्थी सं. 05 ने अन्य अभ्यर्थियो की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किया है लेकिन इसके बाद भी इसे अंतिम रूप से चयनित नही किया गया है में एक या अन्य अभ्यर्थियो द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर वरिष्ठता सूची से प्रमाणित किया है तथा इस बात को दृष्टिगत रखते हुए यदि सम्पूर्ण पैनल को अभिखंडित तथा अपास्त किया गया है, इसे त्रुटि से ग्रसित नही कहा जा सकता है।

विश्लेषण

20. इस न्यायालय ने पक्षकारो के विद्वान अधिकतागण को सुनने के बाद तथा लिये गये आधार पर विचार करते हुए विधिक सुस्थापित स्थिति के कसौटी पर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आदेश की जाँच करने के लिए अब अग्रसर हो रहा है जैसा एल. चन्द्र कुमार बनाम भारत संघ तथा अन्य, (1997) 3 एससीसी 261 में संप्रकाशित के मामले में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा सुस्थापित किया गया है जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति पर विचार किया गया है जिसका प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया जाना चाहिए, त्वरित संदर्भ हेतु

पूर्वोक्त निर्णय के सुसंगत पैरा को उत्कथित किया जा रहा है तथा निम्नवत निर्दिष्ट किया जाता है:-

> “99. हमारे द्वारा अपनाये गये तर्क के दृष्टिगत, हम धारित करते है कि अनुच्छेद 323-क का खण्ड 2(घ) तथा अनुच्छेद 323- ख का खण्ड 3(घ) उस विस्तार तक जहाँ तक यह संविधान के अनुच्छेद 226/227 तथा 32 के अधीन उच्च न्यायालयो तथा उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता का अपवर्जन करता है असंवैधानिक है। अधिनियम की धारा 28 तथा अनुच्छेद 323 क तथा 323-ख के तत्वाधान में अधिनियमिति सभी अन्य विधानो में खण्ड “अधिकारिता का अपवर्जन” एक ही विचार तक असंवैधानिक होगा। अनुच्छेद 226/227 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयो को तथा संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता हमारे संविधान के अलंघनीय मूलभूत संरचना का हिस्सा है। जब कि इस अधिकारिता को निकाला नही जा सकता है, अन्य न्यायालय तथा अधिकरण संविधान के अनुच्छेद 226/227 तथा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के प्रयोग में अनुपूरक भूमिका अदा कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 323-क तथा अनुच्छेद 323-ख के अन्तर्गत सृजित अधिकरण कानूनी प्रावधानो तथा नियमो के संवैधानिक वैधता की जाँच करने के लिए सक्षम है। फिर भी, इन अधिकरणो का सभी निर्णय उच्च न्यायालय के खण्डपीठ के समक्ष छानबीन के अधीन होगा जिसके अधिकारिता में संबंधित अधिकरण आता है। फिर भी अधिकरण विधि के क्षेत्रो के संबंध में जिसके लिए इनका गठन किया गया है लगातार पहली बार के न्यायालयो जैसा कार्य करेगे। इसलिए, वादकारीगण ऐसे मामलो में भी उच्च न्यायालयो से सीधे संपर्क करने के लिए स्वतंत्र नही होगे जहाँ ये संबंधित अधिकरण के अधिकारिता की अनदेखी करते हुए कानूनी विधानो के शक्तिमत्ता पर आपत्ति करते है (सिवाय जहाँ विधान जो विशेष अधिकरण को सृजित करता है को चुनौती दी जाती है) अधिनियम की धारा 5(6) वैध तथा संवैधानिक है तथा इसका निर्वचन उस रीति से किया जाना चाहिए जैसा हमने बताया है।

21. यह न्यायालय तथ्य तथा विधिक स्थिति की विवेचना करने के बाद न्यायनिर्णायक द्वारा पारित अधिनिर्णय में हस्तक्षेप प्रदर्शित करने में भारत के संविधान के अनुच्छेद-226 के

अन्तर्गत उच्च न्यायालय को प्रदत्त न्यायिक पुनर्विलोकन के व्याप्ति के बारे में विवेचना करने के लिए अग्रसर हो रहा है जैसा ***सैयद याकूब बनाम राधा कृष्णनन, एआईआर 1964 एससी 477*** में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। उक्त निर्णय के पैरा सं. 07 को निम्नवत दोहराया जा रहा हैः-

> "अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उत्प्रेषण रिट जारी करने में उच्च न्यायालयो के अधिकारिता के सीमाओ के बारे में प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा बार बार विचार किया गया है तथा इस निमित्त असली विधिक स्थिति अब संदिग्ध नही है। उत्प्रेषण रिट को अवर न्यायालयो या अधिकरणो द्वारा किये गये अधिकारिता के त्रुटियो को ठीक करने के लिए जारी किया जा सकता हैः ये ऐसे मामले है जहाँ आदेशो को अवर न्यायालयो या अधिकरणो द्वारा अधिकारिता के बिना या अधिकारिता के अतिरिक्त या अधिकारिता का प्रयोग करने के विफलता के फलस्वरूप पारित किया जाता है। इसी तरह रिट भी जारी किया जा सकता है जहाँ स्वयं को प्रदत्त अधिकारिता के प्रयोग में न्यायालय या अधिकरण अवैध तरीके से या अनुचित तरीके से कार्य करता है, जैसा उदाहरण के लिए, यह आदेश द्वारा प्रभावित पक्षकार को सुने जाने का अवसर दिये बिना प्रश्न का विनिश्चय करता है या जहाँ विवाद से निपटने में अपनाई गई प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के विरूद्ध है। फिर भी कोई संदेह नही है कि उत्प्रेषण रिट जारी करने की अधिकारिता पर्यवेक्षणीय अधिकारिता है तथा इसका प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने का हकदार नही होता है। इस प्रतिबन्ध का आवश्यक रूप से मतलब है कि साक्ष्य के मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप अवर न्यायालय या अधिकरण द्वारा पहुँचे गये तथ्य के निष्कर्षो को रिट कार्यवाहियो में पुनः खोला या प्रश्नगत नही किया जा सकता है। विधि की त्रुटि जो अभिलेख को देखते ही स्पष्ट है को रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है लेकिन तथ्य की त्रुटि नहीं, भले ही यह गंभीर हो। अधिकरण द्वारा लेखबद्ध तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, उत्प्रेषण रिट जारी किया जा सकता है यदि यह प्रदर्शित किया जाता है कि उक्त निष्कर्ष को लेखबद्ध करने में, अधिकरण ने त्रुटिपूर्वक ग्राहय तथा तात्विक साक्ष्य को स्वीकार करने से इंकार किया था या त्रुटिपूर्वक अग्राहय साक्ष्य को स्वीकार किया था जिसने आक्षेपित निष्कर्ष को

प्रभावित किया है। इसी प्रकार, यदि तथ्य का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नही है, इसे विधि की त्रुटि के रूप में माना जायेगा जिसे उत्प्रेषण रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है। इस श्रेणी के मामलो पर विचार करते समय, फिर भी हमे हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकरण द्वारा लेखबद्ध तथ्य के निष्कर्ष को इस आधार पर उत्प्रेषण रिट हेतु कार्यवाहियो में चुनौती नही दिया जा सकता है कि अधिकरण के समक्ष पेश सुसंगत तथा तात्विक साक्ष्य आक्षेपित निष्कर्ष को कायम रखने के लिए अपर्याप्त नाकाफी था। बिन्दु पर पेश साक्ष्य की पर्याप्तता या पर्याप्ति तथा उक्त निष्कर्ष से निकाले जाने वाले तथ्य का निष्कर्ष अधिकरण के अनन्य अधिकारिता में है तथा उक्त बिन्दुओ को रिट न्यायालय के समक्ष उठाया नही जा सकता है। इन्ही नियंत्रणो में कि उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालयो को प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग न्याय संगत तरीके से किया जा सकता है।

22. ***हरि विष्णू कामथ बनाम अहमद इशाक तथा अन्य. एआईआर 1955 सुप्रीम कोर्ट 233*** में मा. उच्चतम न्यायालय ने पैरा सं. 21 में निम्नवत अभिनिर्धारित किया हैः-

"उत्प्रेषण रिट के चरित्र तथा व्याप्ति एवं शर्तो के संबंध में जिसके अन्तर्गत इसे जारी किया जा सकता है, निम्न प्रतिपादनाओं को साबित के रूप में स्वीकार किया जा सकता है : (1) उत्प्रेषण अधिकारिता के त्रुटि को ठीक करने के लिए जारी किया जायेगा, जब अवर न्यायालय या अधिकरण अधिकारिता के बिना या अधिकारिता के अतिरिक्त कार्य करता है या इसका प्रयोग करने में असफल रहता है (2) उत्प्रेषण रिट तब भी जारी किया जायेगा जब यह पक्षकारो को सुने जाने का अवसर दिये बिना विनिश्चय करता है या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो का उल्लंघन करता है। (3) उत्प्रेषण रिट जारी करने वाला न्यायालय पर्यवेक्षणीय अधिकारिता के प्रयोग में कार्य करता है न कि अपीलीय अधिकारिता। इसका एक परिणाम यह होता है कि न्यायालय अवर न्यायालय या अधिकरण द्वारा पहुँचे तथ्य के निष्कर्षी का पुनर्विलोकन नही करेगा भले ही यह त्रुटिपूर्ण हो । यह इस सिद्धांत पर है कि न्यायालय जिसका विषय वस्तु पर अधिकारिता है के पास गलत तथा सही का विनिश्चय करने की अधिकारिता है तथा जब विधानमण्डल इस निर्णय के विरूद्ध अपील के अधिकार को देना पसंद नही करता है, यह

इसके प्रयोजन तथा नीति को विफल करेगा, यदि वरिष्ठ न्यायालय साक्ष्य पर मामले की पुनः सुनवाई करता है तथा उत्प्रेषण में अपने स्वयं के निष्कर्षी को प्रतिस्थापित करता है।

23. ***स्वर्ण सिंह तथा एक अन्य बनाम पंजाब राज्य तथा अन्य (1976) 2 एससीसी 868*** में न्यायमूर्तिगण ने उत्प्रेषण रिट जारी करने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत रिट के शक्ति की विवेचना करते हुए पैरा सं. 12 तथा 13 में निम्नवत धारित किया हैः-

"12. निवेदित तर्को पर विचार करने के पहले उत्प्रेषण अधिकारिता के अधिकारिता के सीमा को बताने वाले सामान्य सिद्धांतो का उल्लेख करना उपयोगी होगा का प्रयोग के बल अवर न्यायालयो या अधिकरणो द्वारा किये गये अधिकारिता के त्रुटियाँ को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। उत्प्रेषण रिट को केवल पर्यवेक्षणीय अधिकारिता के प्रयोग में जारी किया जा सकता है जो अपीलीय अधिकारिता से भिन्न है। अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत विशेष अधिकारिता का प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने का हकदार नही होता है। जैसा सैय्यद याकूब के मामले (अवर) में इस न्यायालय द्वारा बताया गया है।

13. अवर अधिकरण द्वारा लेखबद्ध तथ्य के निष्कर्ष के संबंध में, उत्प्रेषण रिट केवल तभी जारी किया जा सकता है यदि इस प्रकार का निष्कर्ष लेखबध् करने में, अधिकरण ने उस साक्ष्य पर कार्यवाही किया है जो वैधानिक रूप से अग्राह्य है या ग्राह्य साक्ष्य को स्वीकार करने से इंकार किया है या यदि निष्कर्ष किसी साक्ष्य द्वारा पूर्णतया समर्थित नही है, क्योकि इस प्रकार के मामलो में त्रुटि विधि के त्रुटि के तुल्य होता है। रिट अधिकारिता मात्र उन मामलो तक सीमित होता है जहाँ आदेशो को अवर न्यायालयो या अधिकरणो द्वारा अपने अधिकारिता के अतिरिक्त या इनमें निहित अधिकारिता का प्रयोग करने से इनके इंकार के परिणाम स्वरूप पारित किया जाता है या में गंभीर घोर अन्याय कारित करते हुए अपने अधिकारिता के प्रयोग में अवैध तरीके से या अनुचित तरीके से कार्य करते है।"

24. ***हेंज इण्डिया (प्रा.) लि. तथा एक अन्य बनाम उ.प्र. राज्य तथा अन्य (2012) 5 एससीसी 443*** में न्यायमूर्तिगण ने पैरा सं. 66 तथा 67 में निम्नवत धारित किया हैः-

“66. यह कि न्यायिक पुनरार्विलोकन के शक्ति के प्रयोग पर विचार करने वाला न्यायालय दोनो के अधिकार क्षेत्र में मामले के संबंध में अपना निर्णय विधानमण्डल या कार्यपालिका या इनके अभिकर्ताओ के निर्णय का स्थान नही लेता है तथा यह कि न्यायालय अपने स्वयं के पुनर्विलोकन द्वारा “विशेषज्ञ का ज्ञान” का स्थान नही लेता है, भी इस न्यायालय के निर्णयो द्वारा निष्पक्ष तरीके से सुस्थापित है। इस प्रकार के सभी मामलो में न्यायिक परीक्षण यह ज्ञात करने तक सीमित होता है कि क्या तथ्य के निष्कर्षो का साक्ष्य पर युक्तियुक्त आधार है तथा क्या इस प्रकार का निष्कर्ष इस देश के विधियो से संगत है।

67. धरंगधर केमिकल्स वर्क्स लि. बनाम सौराष्ट्र राज्य में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि तथ्य का प्रश्न जिसका अवधारण करने की अधिकारिता इसके पास है पर अधिकरण के निर्णय तब तक संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत कार्यवहियो में आपत्ति किये जाने योग्य नही होता है जब तक इसे किसी साक्ष्य द्वारा पूर्णतया असर्मिथत नही दिखाया जाता है। यही बात थानसिंह नाथमाल मामला में इस न्यायालय द्वारा लिया गया विचार है जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय सामान्यतया उन प्रश्नो का अवधारण नही करता है जिसके लिए लागू करने का अधिकार जिसके लिए रिट का दावा किया गया है को साबित करने के लिए साक्ष्य का विस्तृत परीक्षण आवश्यक होता है।

25. ***पश्चिम बंगाल केन्द्रीय विद्यालय सेवा आयोग तथा अन्य बनाम अब्दुल हलीम तथा अन्य (2019) 18 एससीसी 39*** में संप्रकाशित के मामले में पैरा सं. 30 पर न्यायमूर्तिगण द्वारा अधिकथित किया गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा अवधारित किये जाने के बाद किया जाना चाहिए कि आक्षेपित अभिलेख को देखते ही स्पष्ट त्रुटि द्वारा संदूषित है तथा इसे तर्क के प्रक्रिया द्वारा साबित नही किया गया है, पूर्वीक्त निर्णय का पैरा 30 निम्नवत पठित हैः-

“**30.** न्यायिक पुनर्विलोकन के अपने शक्ति के प्रयोग में, न्यायालय को यह देखना होता है कि क्या आक्षेपित निर्णय विधि के स्पष्ट त्रुटि द्वारा संदूषित है। यह अवधारित करने की कसौटी क्या अभिलेख को देखते ही स्पष्ट त्रुटि द्वारा संदूषित है कि क्या त्रुटि अभिलेख के तथ्यो पर स्वयं सिद्ध है या क्या त्रुटि के

लिए परीक्षा या इसे साबित करने के लिए तर्क आवश्यक है। यदि त्रुटि को उन बिन्दुओ पर तर्क के प्रक्रिया द्वारा साबित किया जाना है जहाँ युक्तियुक्त तरीके से दो विचार हो सकता है, इसे अभिलेख के तथ्य पर त्रुटि होना नही कहा जा सकता है, जैसा सत्यनारायण बनाम मल्लिकार्जुन एआईआर 1960 एससी 137 में संप्रकाशित में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। यदि कानूनी नियम के प्रावधान का युक्तियुक्त तरीके से दो या अधिक अर्थान्वयन होता है तथा एक अर्थान्वयन को अपनाया गया है, निर्णय में रिट न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नही किया जायेगा। यह मात्र सुसंगत कानूनी प्रावधान का स्पष्ट गलत निर्वचन या इसकी अज्ञानता या उपेक्षा या उन कारणो पर आधारित निर्णय है जो विधि में स्पष्ट रूप से गलत है, जिसे रिट न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी करते हुए ठीक किया जा सकता है।

26. ***टी.सी.बसप्पा बनाम टी.नागप्पा (1955) 1 एससीआर 250*** के मामले में न्यायमूर्तिगण ने धारित किया कि निर्णय में स्पष्ट त्रुटि को उत्प्रेषण रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, जब कार्यवाहियो को देखते ही स्पष्ट त्रुटि द्वारा यह स्पष्ट होता है। पूर्वोक्त निर्णय के सुसंगत भाग को यहाँ नीचे उत्कथित किया जाता हैः-

> “10. .... निर्णय या स्वयं अवधारण में त्रुटि उत्प्रेषण रिट के अधीन हो सकता है लेकिन इसे कार्यवाहिये के तथ्य पर स्पष्ट त्रुटि होना चाहिए उदाहारणार्थ जब यह विधि के प्रावधानो के स्पष्ट अज्ञानता या उपेक्षा पर आधारित होता है। दूसरे शब्दो में, यह स्पष्ट त्रुटि है जिसे उत्प्रेषण द्वारा ठीक किया जा सकता है लेकिन मात्र गलत निर्णय नही------”

27. न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति पर विचार मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा पूर्वोक्त निर्णयो में किया गया है, जिसमें इस प्रकार के शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन चुनौती दिये गये आक्षेपित आदेश को देखते ही त्रुटि यहाँ प्रतीत होता है।

28. इस न्यायालय ने तथ्यात्मक पहलू तथा प्रतिद्वन्द्वी निवेदनो से समझा है कि विवाद्यक वरि. पीडब्लूएस के रिक्ति को भरने से संबंधित है। पी. वे. सूपरवाइजर के रिक्ति को भरने के लिए प्रोन्नति हेतु प्रक्रिया को प्रतिपादित किया गया है, जैसा आदेश दिनांक 13-08-2004 में निर्दिष्ट किया गया है। इसके प्रति को विद्वान केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ता द्वारा इसे पक्षकारो के विद्वान अधिवक्ता अर्थात रिट याचीगण तथा प्रत्यर्थी सं.5 के विद्वान अधिवक्ता को तामील कराने के बाद पेश किया गया है।

29. पूर्वोक्त पॉलिसी निर्णय के अनुसार प्रक्रिया से परिलक्षित होता है कि 01-10-2002 से ईसीआर (पूर्व मध्य रेलवे) के निर्माण के कारण ग्रुप डी कर्मचारी से पी.वे. के प्रोन्नति चार्ट का रास्ता इस रेलवे के लिए तय किया गया है, त्वरित संदर्भ हेतु, इसे निम्नवत निर्दिष्ट किया जा रहा है।

"हाजीपुर

नं ईसीआर/एचआरडी/यूनियन/283/इंजीनियरिंग/ दिनांक 13-08-2004
एसईई/एलपीजे/एम जी एस/ डीएनआर/ डीएचएन

विषय : पी. वे सुपरवाइजर के रिक्ति को भरने के लिए प्रोन्नति की प्रक्रिया / मार्ग

01-10-2002 से ईसीआर के निर्माण के कारण, इस रेलवे के लिए तय ग्रुप डी कर्मचारी से पी. वे के प्रोन्नति चार्ट का मार्ग निम्नवत है:-

पी. वे कर्मचारी का मार्ग

गैंगमैन (2610-3540)	वरिष्ठता- निरीक्षकवार (सीधी भर्ती)	
ट्राली मैन (2610-3540)	वरिष्ठता- निरीक्षकवार (सीधी भर्ती)	
गेटमैन (2610-3540)	वरिष्ठता- निरीक्षकवार (सीधी भर्ती)	
चौकीदार (2610-3540)	वरिष्ठता- निरीक्षकवार (सीधी भर्ती)	
↓		
वरिष्ठ गैंगमैन (2650-4000)	वरिष्ठता-निरीक्षकवार (वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता)	
हेड ट्रालीमैन (2650-4000)	वरिष्ठता-निरीक्षकवार (वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता)	
वरिष्ठ गेटमैन (2650-4000)	वरिष्ठता- निरीक्षकवार (वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता)	
वरिष्ठ चौकीदार (2650-4000)	वरिष्ठता- निरीक्षकवार (वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता)	
↓		
कीमैन (2750-4400) (नोट 1)	उपमण्डलीय वरिष्ठता(वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता)	
↓		
पी. वे .मेट/ गैंग मेट(3050-4590)	मण्डलीय वरिष्ठता	(चयन)
↓		
पी. वे ट्रैक सुपरवाइजर (नोट-2) (4500-7000)	मण्डलीय वरिष्ठता	(चयन)

नोट (1) गेटमैन, ट्रालीमैन, चौकीदार गैंगमैन के साथ समुहित है तथा कीमैन तथा मेट के पद हेतु प्रोन्नति के लिए गैगमैन/ गेटमैन की कम से कम 3 वर्ष की सेवा देने के बाद पात्र होगे, जो दिव्यांग है तथा गैंगमैन के रूप में कार्य नही कर सकते है, प्रोन्नति हेतु पात्र नही होगे।

नोट (2) रिक्ति के पी.वे सुपरवाइजर का 50 प्रतिशत विभागीय कोटा जैसा आज की तिथि में विद्यमान है तथा अगले एक वर्ष में पूर्वानुमानित रिक्ति चयन के सकारात्मक कार्य द्वारा भरा जायेगा जिसमें वरि.गैंगमैन, कीमैन तथा गेटमैन में लिखित परीक्षा शामिल है जो मैट्रिक है तथा इसके पास 5 वर्ष का पी.वे अनुभव है। यदि प्रोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थिगण उपलब्ध नही होते है, कोटा को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

30. पूर्वोक्त पॉलिसी निर्णय से यह स्पष्ट है कि गैंगमैन, ट्रालीमैन, गेटमैन तथा चौकीदार का पद वरिष्ठता-निरीक्षक वार के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाने वाला बेसिक संवर्ग पद होगा।

31. वरिष्ठ गैंगमैन, हेड ट्रालीमैन, वरिष्ठ गेटमैन तथा वरिष्ठ चौकीदार का पद वरिष्ठता-निरीक्षक बार के आधार पर गैंगमैन, ट्रालीमैन, गेटमैन तथा चौकीदार के पद से प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद का अगला अधिक्रम है।

32. कीमैन का पद अगला अधिक्रम है जो वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरा जाने वाला उप मण्डलीय स्तर पर है।

33. पी.वे.मेट/ गैंगमेट का पद मण्डल स्तर पर है तथा मण्डलीय वरिष्ठता पर आधारित होना चाहिए लेकिन उक्त पद को चयन पद के लिए बनाया गया है।

34. पी.वे. ट्रैक सुपरवाइजर का पद भी मण्डलस्तर पर है तथा मण्डलीय वरिष्ठता पर आधारित है लेकिन उक्त को पद का चयन पद बनाते हुए चयन द्वारा भरा जाना चाहिए।

35. पूर्वोक्त पॉलिसी निर्णय में दो नोट अन्तर्विष्ट है अर्थात नोट (1) तथा नोट (2)

36. नोट (1) के अनुसार गेटमैन, ट्रालीमैन, चौकीदार गैंगमैन के साथ समूहित है तथा कीमैन तथा मेट के पद के प्रोन्नति हेतु गैंगमैन/ गेटमैन के कम से कम 3 वर्ष की सेवा देने के बाद पात्र होगे, जो दिव्यांग है तथा गैंगमैन के रूप में कार्य नही कर सकते है, प्रोन्नति हेतु पात्र नही होगे।

37. नोट (2) रिक्ति जैसा आज की तिथि में विद्यमान है के पी.वे सुपरवाइजर के 50 प्रतिशत विभागीय कोटा तथा चयन के सकारात्मक कार्य द्वारा अगले एक वर्ष में पुर्वानुमानित रिक्ति को भरने के लिए है जिसमें वरिष्ठ गैंगमैन, कीमैन तथा गेट मैन के बीच लिखित परीक्षा शामिल है जो मैट्रिक है तथा जिनके पास पाँच वर्ष का पी.वे.अनुभव है। यदि प्रोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थीगण उपलब्ध नही होते है, कोटा को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

38. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पी.वे. सुपरवाइजर के पद को दो तरीको अर्थात सीधी भर्ती तथा लिखित परीक्षा के आधार पर चयन पर आधारित विभागीय प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत द्वारा भरा जाना चाहिए।

39. नोट (2) से आगे प्रतीत होता है कि वरिष्ठ गैंगमैन, कीमैन तथा गेटमैन जो मैट्रिक है तथा पाँच वर्ष का पी.वे. अनुभव है मात्र पी.वे. सुपरवाइजर के पद के 50 प्रतिशत के अन्तर्गत विभागीय प्रोन्नति हेतु विचार किये जाने के लिए पात्र है। लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार

पर उपयुक्त अभ्यर्थियो के उपलब्ध न होने की दशा में, कोटा को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा।

40. इस प्रकार पूर्वोक्त पॉलिसी निर्णय से परिलक्षित होता है कि पी.वे सुपरवाइजर का पद चयन पद है।

41. विधि सुस्थापित है कि जब पद चयन पद होता है तब इसे विशुद्ध रूप से लिखित परीक्षा या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किसी अन्य मानक के आधार पर पदो को भरने की प्रक्रिया में एक या अन्य अभ्यर्थियो के प्रदर्शन के आधार पर भरा जाना चाहिए, इसका अर्थ यह है कि, यदि पद चयन पद है, तब वरिष्ठता अभिभावी नही होगा बल्कि मेरिट अभिभावी होगा।

42. इसमें, पॉलिसी निर्णय दिनांक 13-08-2004 के अनुसार, उपयुक्तता का मूल्यांकन सेवा अभ्यर्थिगण जो वरि. गैंगमैन, कीमैन तथा गेटमैन का पद धारण किये है में से एक या अन्य अभ्यर्थिगण के मेरिट का निर्धारण करने के प्रयोजन हेतु किया जाना चाहिए।

43. वर्तमान मामले के तथ्यो पर आते है, यह विवादित नही है कि आवेदक/ प्रत्यर्थी सं. 5 को आरंभ में ट्रैकमैन/ गैगमैन के रूप में नियुक्त किया गया था तथा तत्पश्चात 03-07-2012 को मेट के पद पर प्रोन्नत किया गया था। ऐसे समय पर, जब आवेदन भरा गया था, प्रत्यर्थी सं. 05 कीमैन का पद धारण किया था तथा इसके द्वारा वह पॉलिसी निर्णय दिनांक 13-08-2004 के दृष्टिगत चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र हो गया था।

44. जबकि, दूसरी तरफ, इसमें याचीगण भी चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र थे क्योकि ये लोग पी.वे. सुपरवाइजर के पद हेतु अभ्यर्थिता के विचार हेतु पॉलिसी निर्णय दिनांक 13-08-2004 के अनुसार संवर्ग में है।

45. लिखित परीक्षा कराई गई थी तथा मेरिट सूची तैयार किया गया था। आवेदक/ इसमें प्रत्यर्थी सं. 5 की शिकायत यह है कि इसने 65.54 प्रतिशत अंक प्राप्त किया है तथा तैयार मेरिट सूची में क्रम सं. 75 पर रखा गया है लेकिन ऐसे अभ्यर्थिगण जिन्होने प्रत्यर्थी सं. 05 की तुलना में कम अंक प्राप्त किया है को 27 अभ्यर्थियो के पैनल को तैयार करते हुए अंतिम रूप से चयनित किया गया है।

46. प्रत्यर्थी सं. 5 की शिकायत यह है कि जब पी.वे सुपरवाइजर का पद चयन पद होता है तब केवल मेरिट अभिभावी होगा वरिष्ठता नही। लेकिन प्रत्यर्थीगण ने उपयुक्तता को प्रकृति में अर्हित माना है तथा याचीगण जिन्हे यद्यपि अर्हित घोषित किया गया है तथा इसके पद को

वरिष्ठता सूची में आधारित किया गया है, इन्हे अंतिम चयन सूची में शामिल किया गया है तथा इसके द्वारा 50 प्रतिशत पद जो पॉलिसी निर्णय दिनांक 13-08-2004 के अनुसार चयन पद है को भरने के लिए मेरिट के सिद्धांत का अनुसरण नही किया गया है।

47. जबकि याचीगण का मामला यह है कि पैनल में कोई त्रुटि नही है जिसमें 27 अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियो का नाम अन्तर्विष्ट है क्योकि उपयुक्तता से मात्र एक या अन्य अभ्यर्थियो के उपयुक्त होने का परीक्षण होता है तथा एक बार अभ्यर्थियो को उपयुक्त घोषित कर दिया जाता है, तब वरिष्ठता अभिभावी होगा तथा चुकि याचीगण प्रत्यर्थी सं.05 से वरिष्ठ है तथा इस प्रकार, अंतिम रूप से चयनित किया गया है।

48. विद्वान अधिकरण वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर निष्कर्ष पर आया है जैसा आक्षेपित आदेश के पैरा 13, 14,15 एवं 16 में किये गये संप्रेक्षण से स्पष्ट है, त्वरित संदर्भ हेतु, इसे यहाँ नीचे निर्दिष्ट किया जा रहा है:-

> "13. यह जानने के लिए कि क्या कीमैन तथा मेट गैंगमैन का प्रोन्नति मार्ग है या नही, हमने भारतीय रेलवे स्थापन मैनुअल वैल्यूम 1, नियम 181 पर विचार किया है जो इस प्रकार है:-
>
> > *"181 सिविल अभियांत्रिकी विभाग- ट्रालीमैन, गेटमैन तथा चौकीदार को गैंगमैन के साथ समूहित किया जाना चाहिए तथा कीमैन एवं मेट्रस के रूप में प्रोन्नति के लिए पात्र होगा। इन व्यक्तियो द्वारा गैंगमैन के रूप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा देना आवश्यक है लेकिन यह आवश्यक नही है कि इन्हे चक्रानुक्रम में गैंगमैन के रूप में काम करना चाहिए जो दिव्यांग है तथा गैंगमैन के रूप में कार्य नही कर सकते है, वास्तव में प्रोन्नति हेतु पात्र नही होगे।*
>
> 14. उपरोक्त नियम संकेत करेगा कि कीमेन गैंगमेन का प्रोन्नति मार्ग है तथा इस प्रकार कीमेन को पे बैण्ड-2 में वरिष्ठ पीडब्लूएस के ऊचे पद के प्रोन्नति के प्रयोजन हेतु गैंगमैन से वरिष्ठ के रूप में माना जाना चाहिए। आवेदक ने हमारा ध्यान प्रोन्नति क्रम की ओर खीचा है जहाँ कीमेन को मेट के पद पर प्रोन्नत किया जाता है। रेलवे बोर्ड के परिपत्र दिनांक 22-09-2014 ने भी मेट/कीमैन तथा गैंगमेन /ट्रैकमैन के पद को स्पष्ट किया है, जो निम्नवत है :-

"2. उपरोक्त के अनुसरण में, बोर्ड (एमई) ने अभियांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत इस प्रकार के पुर्नगठित ट्रैकमेन श्रेणीयो के कर्तव्यो को निम्नवत अनुमोदित किया है -

(i) मेट तथा कीमैन के श्रेणीयो को रु 2800 के ग्रेड-पे में ट्रैक मेन्टेनर ग्रुप-1 के रूप में पुर्ननामित किया जाता है।

(ii) गैंगमैन/ ट्रैकमैन/ गेटमैन/ ट्रालीमैन/ पी.वे-वाचमैन के श्रेणियों को ट्रैक मेन्टेनर ग्रुप-II [जी.पी. रु 2400] ट्रैक मेन्टेनर ग्रुप-III [जी.पी. रु.1900] तथा ट्रैक मेन्टेनर ग्रुप-IV [जी.पी. रु.1800] के रूप में पुर्ननामित किया जाता है।

15. चूँकि रु -2400 ग्रेड पे का गैंगमैन काफी नीचे है, मेट तथा कीमैन का ग्रेड-पे जिसका ग्रेड-पे रु. 2800 /- है को रैंक में कनिष्ठ के रूप में माना जाना आवश्यक है। सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत भी, आवेदक अभिलेख पर लाया है कि प्रोन्नति पर ट्रैकमैन को कीमैन बनाया जाता है तथा तत्पश्चात इसे मेट के पद पर प्रोन्नत जाता है। इसलिए, ऊँचे पद पर प्रोन्नति के संबंध में मेट तथा कीमैन के बीच में मेट है को कीमैन पर वरीयता होगी। इसी प्रकार कीमैन को ट्रैकमैन/ गैंगमैन पर वरीयता होगी। इसलिए, एक बार अर्हित सूची प्रकाशित हो जाती है, जिसे 100 कर्मचारियो के सम्बन्ध में किया गया है, प्रत्यर्थीगण मेट जो अपने वरिष्ठता के क्रम में लिखित परीक्षा (उपयुक्तता परीक्षण) में अर्हित है से वरिष्ठ स्थायी वे सुपरवाइजर के पद को सर्वप्रथम भरने के लिए कर्तव्य बध्द है तथा यदि फिर भी कोई रिक्ति छुट जाती है इस वरिष्ठता के क्रम में कीमैन के संवर्ग से भरा जाना चाहिए तथा तत्पश्चात बाकी पदो को संवर्ग में इनके वरिष्ठता के क्रम में गैंगमैन/ट्रैकमैन द्वारा भरा जाता है। चूकि प्रोन्नति सूची दिनांक 24-07-2021 में, ट्रैकमैन को मेट तथा कीमेन के ऊपर रखा गया है प्रथम दृष्टया सम्पूर्ण चयन अवैध/ दोषपूर्ण हो जाता है।

16. उपरोक्त विवेचना के दृष्टिगत, यह सुस्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण मेट के वरिष्ठता के आधार पर 27 व्यक्तियो का अंतिम चयन सूची तैयार करना है तथा तत्पश्चात, यदि कोई पद भरा नही जाता है, इसे कीमैन के श्रेणी से भरा जाना चाहिए तथा तत्पश्चात अवशिष्ट पदो को अर्हता सूची से इसके वरिष्ठता के क्रम में गैंगमैन/

ट्रैकमेन के संवर्ग से भरा जाना चाहिए।

49. पूर्वोक्त पैरा से यह स्पष्ट है कि भारतीय रेलवे स्थापन मैनूअल के नियम 181 के संदर्भ का ध्यान रखा गया है। इस न्यायालय के पूर्वोक्त प्रावधान पर विचार करने के बाद यह विचार है कि यह संवर्ग प्रोन्नति के बारे में बताता है।

50. पूर्वोक्त पैरा से आगे प्रतीत होता है कि पी.वे सुपरवाइजर के पद को संवर्ग पद मानते हुए विद्वान अधिकरण इस निष्कर्ष पर आया है कि चूकि प्रत्यर्थी सं. 05 को कीमैन पर प्रोन्नत किया गया था तथा तत्पश्चात मेट के पद पर प्रोन्नत किया गया था, इस प्रकार मेट को कीमैन पर वरीयता होगी तथा इसी प्रकार कीमैन को ट्रैकमैन तथा गैंगमेन पर वरीयता होगी, इसका अर्थ यह है कि पी.वे सुपरवाइजर के पद को संवर्ग पद माना जाता है तथा इसके द्वारा भारतीय रेलवे स्थापन मैनूअल के नियम 181 के प्रावधान को प्रयोज्य बनाया गया है।

51. फिर भी, 27 चयनित अभ्यर्थियो को पैनल को पैरा 13,14,15 एवं 16 पर किये गये संप्रेक्षणो के आधार पर पुनरीक्षित पैनल प्रकाशित करने के निदेश के साथ अभिखंडित तथा अपास्त किया गया है।

52. विवाद्यक जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है यह है कि यद्यपि विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आदेश के परिणाम को सही माना जाता है तब निष्कर्ष के आधार पर जैसा आक्षेपित आदेश दिनांक 01-06-2017 के पैरा 13,14,15 एवं 16 में लेखबद्ध है पुनः अवैधता इस कारण धीरे से पास आयेगा कि पी.वे. सुपरवाइजर का पद वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता से भरा जाने वाला संवर्ग पद नही है बल्कि पी.वे. सुपरवाइजर का पद मण्डलीय वरिष्ठता के आधार पर मण्डलीय स्तर का पद है जो इसे चयन पद बनाता है।

53. इस लिए, मानक जिसका अनुसरण रेलवे अधिकारियो द्वारा किया जाना चाहिए विशुद्ध रूप से मेरिट के आधार पर है न कि वरिष्ठता पर तथा यदि यह किया जायेगा तब मात्र पॉलिसी निर्णय दिनांक 13-08-2004 का अभिप्राय अपने भाव तथा भाषा में उद्देश्य को प्राप्त किया कहा जायेगा।

54. पी.वे सुपरवाइजर का चयन पद होने के बारे में तथ्य का खण्डन याचीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा नही किया गया है लेकिन इसका निवेदन यह है कि तब भी पी.वे. सुपरवाइजर का पद वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर भरा जाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार का आधार लेने का आधार क्या है विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा नही बताया गया है।

55. इस न्यायालय ने बार-बार विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता से अपने तर्क के समर्थन में नियम

प्रस्तुत करने के लिए कहा है लेकिन इन्होने वरिष्ठ पी.वे. सुपरवाइजर के 50 प्रतिशत कोटा को भरने के प्रयोजन हेतु भर्ती नियम को प्रस्तुत करने के संबंध में अपनी असमर्थता व्यक्त किया था।

56. फिर भी, विद्वान केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ता ने संसूचना दिनांक 13-08-2004 को प्रस्तुत किया है तब इसने स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेज के अनुसार, प्रोन्नति उपयुक्तता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पी.वे. सुपरवाइजर के पद को दिया जाना चाहिए।

57. जहाँ तक भारतीय रेलवे स्थापन मैनुअल के नियम 181 के प्रयोज्यता का संबंध है, याचीगण के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क यह है कि यह तथ्यो या परिस्थितियो में लागू नही होता है क्योकि यह संवर्ग प्रोन्नति के संबंध में कहता है।

58. यह न्यायालय इस प्रकार के निवेदन से सहमत है लेकिन प्रश्न यह है कि यदि भारतीय रेलवे स्थापन मैनूअल का नियम 181 लागू नही होता है तब वरिष्ठ पी.वे. सुपरवाइजर के पद हेतु 50 प्रतिशत कोटा के विरूद्ध प्रोन्नित देने का आधार क्या होगा।

59. पूर्वीक्त पॉलिसी निर्णय दिनांक 13-08-2004 को दोनो पक्षकारो द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष पेश नही किया गया था लेकिन जब न्यायालय ने बार-बार निदेशो को पारित किया है तब पॉलिसी निर्णय दिनांक 13-08-2004 को इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

60. उक्त पॉलिसी निर्णय को एतस्मिन उपरोक्त सम्पूर्णता में निर्दिष्ट किया गया है तथा यह न्यायालय, उक्त पॉलिसी निर्णय पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर आया है कि जब पी.वे ट्रैक सुपरवाइजर का पद चयन पद होता है, तब इसे भर्ती के प्रक्रिया में प्रदर्शन के आधार पर एक या अन्य अभ्यर्थियो के मेरिट के द्वारा भरा जाना चाहिए जिसका उल्लेख पॉलिसी निर्णय दिनांक 13-08-2004 के नोट (2) में किया गया है।

61. आगे, उक्त पद मात्र मेरिट द्वारा भरा जाना चाहिए जैसा नोट (2) के शब्द से स्पष्ट है अर्थात "यदि प्रोन्नति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही है, कोटा को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा" इसका अर्थ यह है कि यदि लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थियो को उपलब्ध नही पाया जाता है तब उक्त पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना चाहिए जिससे पता चलता है कि पद को मात्र मेरिट के आधार पर भरा जाना चाहिए तथा इसके अलावा, पद चयन पद है।

62. तथ्य से आगे प्रतीत होता है कि गैंगमैन, ट्रालीमैन गेटमैन तथा चौकीदार एवं वरि.

गैंगमैन, हेड ट्रालीमैन, वरि. गेटमैन तथा वरि. चौकीदार तथा कीमैन के पद को वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता के आधार पर ऊचे पद के प्रोन्नति हेतु माना जाना चाहिए। लेकिन, पॉलिसी निर्णय लेते समय जहाँ तक पी.वे मेट/ गैंगमेट तथा पी.वे ट्रैक सुपरवाइजर का संबंध है, इस चयन पद निर्दिष्ट किया गया है जिससे पता चलता है कि गैंगमैन/ ट्रालीमैन/ गेटमैन/ चौकीदार/ वरिष्ठ गैंगमैन /हेड ट्रालीमैन /वरि. गेटमैन/वरि. चौकीदार/ कीमैन तथा पी.वे.मेट/ गैंग मेट तथा पी.वे. ट्रैक सुपरवाइजर के बीच में अंतर उत्तीर्ण किया गया है, अन्यथा पी.वे मेट/ गैंगमेट तथा पी.वे. ट्रैक सुपरवाइजर का पद चयन पद में देने का कोई कारण नही था।

63. मामले के तथ्यो पर वापस आते है, यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रत्यर्थी सं. 05 ने 65.34 प्रतिशत अंक प्राप्त किया है जब कि याचीगण ने प्रत्यर्थी सं. 05 की तुलना में कम अंक प्राप्त किया है।

64. प्रत्यर्थी सं. 05 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह बताया गया है कि ऐसा अभ्यर्थी जिसने 85 प्रतिशत अंक प्राप्त किया है मात्र इसलिए चयनित नही किया गया है क्योकि वह सूची में नीचे था जिसने अधिकरण के समक्ष आवेदन दाखिल किया है जिसमें उपर्युक्त आदेश पारित किया गया है।

65. इस लिए इस न्यायालय का विचार है कि पैरा 13,14,15 तथा 16 पर लेखबद्ध निष्कर्ष के आधार पर 27 अभ्यर्थियो के अंतिम चयन सूची को अपास्त करते हुए निष्कर्ष पर आने का आधार विधि की दृष्टि में संधार्य नही है।

66. तद्नुसार, आदेश के उक्त भाग पॉलिसी निर्णय दिनांक 13-08-2004 के आरंभ में अर्थात प्रोन्नति के नियम के प्रतिकूल अभिनिर्धारित किया जाता है।

67. फिर भी, चूँकि 27 चयनित अभ्यर्थियो के पैनल को नया पैनल तैयार करने के निदेश के साथ अपास्त किया गया है, इसे उचित अभिनिर्धारित किया जाता है लेकिन प्रत्यर्थी अधिकारीगण द्वारा लिखित परीक्षा में इसके द्वारा प्राप्त एक या अन्य अभ्यर्थियो के मेरिट स्थिति के आधार पर पैनल तैयार करना आवश्यक है तब केवल यह कहा जा सकता है कि वरि. पीडब्लूएस के 50 प्रतिशत पदो को पॉलिसी निर्णय दिनांक 13-08-2004 द्वारा भरा गया है।

68. याचीगण की ओर से आधार लिया गया है कि वरि. पीडब्लूएस के पद पर प्रोन्नति के बाद, इन्हे भी ऊँचे पद पर प्रोन्नत किया गया है, लेकिन हमारे सुविचारित राय के अनुसार, इसे कोई सार कारण होना नही कहा जा सकता है कि इसके आरंभ में कोई अवैधता की गई है, इसे मात्र इसलिए संशोधित नही किया जा सकता है क्योकि इस सिद्धांत पर समय बीत गया है कि

इसके आरंभ में किये गये अवैधता को संशोधित करने की अनुमति नही दी जा सकती है, इस संबंध में, ***रितेश तिवारी तथा एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य (2010) 10 एससीसी 677]*** के मामले में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का संदर्भ किया जा सकता है जिसमें पैरा 32 में मा. शीर्ष न्यायालय ने निम्नवत अभिनिर्धारित किया हैः-

> "32. यह सुस्थापित विधिक प्रतिपादना है कि यदि आदेश अपने आरंभ में दोषपूर्ण होता है, यह बाद के प्रक्रम पर पवित्रीकृत नही होता है। पश्चातवर्ती कार्यवाही/ गतिविधि उस कार्यवाही को इस कारण विधिमान्य नही बना सकता है जो अपने आरंभ में विधिपूर्ण नही था कि अवैधता आदेश के जड़ में देखने में आता है। इस प्रकार के आदेश को विधि मान्य बनाने के लिए किसी प्राधिकारी के सक्षमता के परे होगा। व्यक्ति को विधि पर भरोसा करने के लिए अनुमति देना व्यंग्यपूर्ण होगा, जिसके उल्लंघन में इसने लाभ प्राप्त किया है।"

69. ***उड़ीसा राज्य तथा एक अन्य बनाम ममता मोहंती (2011) 3 एससीसी 436)*** में दिये गये एक दूसरे निर्णय में, मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा पैरा 37 पर समान विचार किया गया है जिसे यहाँ नीचे उत्कथित किया जा रहा हैः-

> "37. यह सुस्थापित विधिक प्रतिपादना है कि यदि आदेश अपने आरंभ में दोषपूर्ण होता है, यह बाद के प्रक्रम में पवित्रीकृत नही होता है। पश्चातवर्ती कार्यवाही/ गतिविधि इस कारण कार्यवाही को विधिमान्य नही बना सकता है जो अपने आरंभ में विधिपूर्ण नही था कि अवैधता आदेश के जड़ में दिखाई पड़ने लगता है। यह इस प्रकार के आदेश को विधिमान्य बनाने के लिए किसी प्रधिकारी के सक्षमता के परे होगा। व्यक्ति को विधि पर भरोसा करने के लिए अनुमति देना व्यंग्यपूर्ण होगा, जिसके उल्लंघन में इसने लाभो को प्राप्त किया है। यदि आदेश आरंभिक प्रक्रम पर विधि में दोषपूर्ण है, तब इसके परिणाम स्वरूप आगे की सभी कार्यवाहियाँ नगण्य होगी तथा आवश्यक रूप से अपास्त करना होगा। विधि में अधिकार केवल तभी विद्यमान होता है जब इसकी विधिपूर्ण उत्पत्ति होतीहै।

70. आगे, यह विधि की सुस्थापित स्थिति है कि अवैधता को स्थायी रखने के लिए अनुज्ञात नही किया जा सकता है तथा उस क्षण जब यह राज्य या सक्षम प्राधिकारी के जानकारी में आया है, इसे सुधारा जाना चाहिए, जैसा ***चमन लाल बनाम पंजाब राज्य तथा अन्य (2014) 15 एससीसी 715*** में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, जिसमें मा. शीर्ष

न्यायालय ने ***वासबराज तथा एक अन्य बनाम विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (2013) 14 एससीसी 87)*** में दिये गये मामले का संदर्भ लेते हुए पैरा 16 में निम्नवत अभिनिर्धारित किया हैः-

> "16. इसके अलावा, यह भी सुस्थापित विधिक प्रतिपादना है कि अनुच्छेद 14 नकारात्मक समानता पर विचार नही करता है। यदि अनजाने में या अन्यथा किसी को गलत लाभ दिया गया है, यह अन्य को समान अनुतोष देने के लिए आधार नही हो सकता है। इस न्यायालय ने वासवराज बनाम भूमि अध्याप्ति अधिकारी[(2013) 14 एससीसी 81] में इस विवादक पर विचार किया था तथा निम्नवत अभिनिर्धारित किया थाः (एससीसी पे. 85, पैरा 8)
>
> > "8. यह सुस्थापित विधिक प्रतिपादना है कि संविधान का अनुच्छेद 14 अन्य मामलो में किये गये गलत निर्णयो को बढ़ाते हुए भी अवैधता या कपट को जारी रखने के लिए अभिप्रेत नही है। उक्त प्रावधान नकारात्मक समानता पर विचार नही करता है बल्कि इसका केवल सकारात्मक पहलू होता है। इस प्रकार, यदि कुछ अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियो को अनजाने में या त्रुटि द्वारा कुछ अनुतोष/लाभ दिया गया है, इस प्रकार का आदेश अन्य अनुतोष को प्राप्त करने के लिए अन्य को कोई विधिक अधिकार नही देता है। यदि पूर्ववर्ती मामले में गलती किया गया है, यह जारी नही रह सकता है। समानता घिसापिटा है जिसका दावा अवैधता में नही किया जा सकता है तथा इसलिए, नकारात्मक तरीके से नागरिक या न्यायालय द्वारा लागू नही किया जा सकता है। यदि अवैधता तथा अनियमितता व्यक्ति या व्यक्तियो के समूह के पक्ष में लिया गया है या न्यायिक फोरम द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है, अन्य उपर्युक्त अनियमितता या अवैधता को दोहराने या बढ़ाने के लिए या इसी प्रकार का गलत आदेश पारित करने के लिए उच्च या वरिष्ठ न्यायालय के अधिकारिता का अवलंब नही ले सकता है। किसी विशेष पक्षकार के पक्ष में गलत आदेश/निर्णय गलत निर्णय के आधार पर लाभो का दावा करने के लिए किसी अन्य पक्षकार को हकदार नही बनाता है। अन्यथा भी, अनुच्छेद 14 का काफी अधिक विस्तार नही किया जा सकता है क्योकि अन्यथा यह प्रशासन के कार्य को असंभव बना देगा।"

71. चूँकि हमने विद्वान अधिकरण द्वारा पारित आदेश के परिणाम की अभिपुष्टि किया है जहाँ तक इसका संबंध आदेश दिनांक 24-02-2012 के अभिखण्डन से है, इसलिए इस न्यायालय का विचार है कि मात्र इसलिए क्योकि याचीगण को पश्चातवर्ती प्रोन्नति दिया गया है, प्रोन्नति के पॉलिसी निर्णय का अनुसरण न करने से अवैधता जो चुपके से पास आया है- को जारी रखने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।

72. पूर्वोक्त तर्क के आधार पर तथा एतस्मिन उपरोक्त निर्दिष्ट मामलो में मा. शीर्ष न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन के शक्ति को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का विचार है कि आक्षेपित आदेश प्रत्यर्थीगण को पहले कराये गये लिखित परीक्षा के आधार पर एक या अन्य अभ्यर्थियो के मेरिट स्थिति के आधार पर अंतिम पैनल तैयार करने के निदेश के साथ अभिपुष्ट किया जाना आवश्यक है जहाँ तक इसके परिणाम का संबंध है।

73. इस प्रकार के कवायद को आदेश की प्रति प्राप्त करने के तिथि से तीन माह के अवधि के अन्दर पूरा किया जाय।

74. तद्नुसार,वर्तमान रिट याचिका को निपटाया जाता है।

(सुजीत नारायण प्रसाद न्यायमूर्ति)

मै सहमत हूँ

(प्रदीप कुमार श्रीवास्तव) (प्रदीप कुमार श्रीवास्तव)